

# नीतीश मिश्रा

पूर्व मंत्री  
बिहार सरकार



सदस्य  
बिहार विधान सभा

Ref: 43/2021  
Dt- 18-01-2021

*Schud*  
18-1-21

सचिव,  
कृषि विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर, लखनौर एवं मधेपुर प्रखंड अवस्थित हजारों हेक्टेयर अनुपयोगी बने चौर में वृहद पैमाने पर (वैकल्पिक कृषि) मखाना एवं मत्स्य पालन कराने के संबंध में।

महाशय,

मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर स्थित तीनों प्रखंडों झंझारपुर, लखनौर, एवं मधेपुर (6 पंचायत) अवस्थित हजारों हेक्टेयर भूमि जलजमाव के कारण चौर के रूप में परिवर्तित होकर अनुपयोगी हो गया है। यद्यपि बाढ़ प्रवन्न इस क्षेत्र की भूमि अत्यंत ही उर्वर एवं उपजाऊ हैं, परन्तु जल निकासी व्यवस्था के अभाव के कारण हजारों किसानों के लिए यह अभिशाप बनकर रह गया है। विदित हो कि जल संसाधन विभाग के अभियंता के दल द्वारा अनेकों बार जल निकासी की संभावना फलीभूत नहीं हो सकी है। कृषि योग्य भूमि रहते हुए भी चौर में जल निकासी नहीं होने से भूमि रहते किसान भूमिहीन हो गये हैं एवं आमदनी में कमी और इन्हें गरीबी में जीना पड़ रहा है। (प्रखंडवार चौर की सूची संलग्न)

पूर्व में जब मैं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर आसीन था, उस समय मैंने अपने कार्यालय पत्रांक 777/नि0, दिनांक 09.10.2014 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उक्त चौर से संबंधित पत्र लिखा था। मेरे पत्र के आलोक में कृषि निदेशक, बिहार, पटना ने अपने कार्यालय पत्रांक 4517, दिनांक 20.10.2014 को कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) को उपरोक्त चौर से संबंधित निरीक्षण करने के पश्चात प्रतिवेदन की माँग की। कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ने उक्त चौर को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण करवा कर अपना प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार, पटना को समर्पित कर दिया गया। पुनः कृषि निदेशक, बिहार, पटना ने अपने कार्यालय पत्रांक 713, दिनांक 06.02.2015 के माध्यम से सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना को उक्त चौर में मत्स्य पालन

के संबंध में सुझाव दिया गया कि चौर के सामुदायिक विकास हेतु मछली पालन का विस्तृत प्रशिक्षण, बैंको से ऋण दिलवाकर एवं किसानों को लीज पर जमीन देकर वृहद पैमाने पर मत्स्य पालन का बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इन चौरों में वैकल्पिक कृषि जैसे मखाना की खेती अथवा मत्स्य पालन हेतु किसानों को लीज पर उक्त चौर की जमीन देकर उन्हें विस्तृत प्रशिक्षण एवं बैंको से ऋण दिलाने की आवश्यकता है। इसमें कृषि विभाग एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दोनों को वृहद पैमाने पर पहल करने की आवश्यकता है। कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को गठित कर वैकल्पिक खेती को बढ़ाया जा सकता है। चौर के विकास में (FPOs) के माध्यम से यह कार्य देश में अनुपम उदाहरण पेश कर सकता है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची के आलोक में चौर के सामुदायिक विकास में वृहद पैमाने पर मखाना की खेती एवं मत्स्य पालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

नव वर्ष की मंगलकामनाओं के साथ!

भवदीय,

Nitish Mishra  
(नीतीश मिश्रा) 18.1.2021

(संलग्न:- यथोक्त!)